



महत्वपूर्ण सूचना

शैक्षिक सत्र 2021-22 पूर्व मध्यमा भाग-1 (कक्षा नौवी) एवं उत्तर मध्यमा भाग-1 (कक्षा ग्यारहवीं) के एनरोलमेंट रिटर्न हेतु ऑनलाईन आवेदन बारे।

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त संस्कृत गुरुकुलों/विद्यापीठों के शैक्षिक सत्र 2021-22 की पूर्व मध्यमा भाग-1 (कक्षा नौवी) एवं उत्तर मध्यमा भाग-1 (कक्षा ग्यारहवीं) के एनरोलमेंट रिटर्न करने की तिथियाँ निम्न प्रकार से बढ़ाई जाती है :-

कक्षा	बिना विलम्ब शुल्क
पूर्व मध्यमा भाग-1 (कक्षा नौवी) एवं उत्तर मध्यमा भाग-1 (कक्षा ग्यारहवीं)	10.01.2022 तक

अतः सभी संस्कृत गुरुकुलों/विद्यापीठ अपने विद्यार्थियों के एनरोलमेंट रिटर्न के आवेदन-पत्र उपरोक्त तिथि शैड्यूल अनुसार निर्धारित शुल्क (ऑन-लाईन) सहित जमा करवाना सुनिश्चित करें। पूर्व मध्यमा भाग-1 (कक्षा नौवी) एवं उत्तर मध्यमा भाग-1 (कक्षा ग्यारहवीं) के विद्यार्थियों की एनरोलमेंट रिटर्न में परीक्षार्थी का आधार कार्ड दर्ज किया जाना अनिवार्य है। किसी भी प्रकार की तकनीकी कठिनाई के लिए हैल्पलाईन नं० 97286-66953 या 01664-254302 पर सम्पर्क करें। इसके अतिरिक्त सहायक सचिव (एनरोलमेंट) के फोन नं. 01664-244171 से 176 Ext. 164 तथा मोबाईल नं० पर भी सम्पर्क किया जा सकता है एवं हैल्पलाईन ई-मेल enrollmentbsehhelp@gmail.com तथा asenr@bseh.org.in पर ई-मेल भेजी जा सकती हैं।

नोट :-

1. यदि किसी संस्कृत गुरुकुलों/विद्यापीठ द्वारा किसी भी कारणवश एनरोलमेंट शुल्क दो या दो से अधिक बार जमा करवा दिया जाता है तो ऐसे मामलों में संस्कृत गुरुकुल/विद्यापीठ शुल्क वापिसी हेतु एनरोलमेंट आवेदन की अंतिम तिथि से 60 दिन के अन्दर-अन्दर सम्पूर्ण विवरण (Beneficiary Name, Account No., IFSC Code, Bank Branch Name) सहित प्रार्थना-पत्र ई-मेल asenr@bseh.org.in पर भेजना सुनिश्चित करें अन्यथा एनरोलमेंट शुल्क वापिसी बारे बोर्ड कार्यालय द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा।
2. एनरोलमेंट आवेदन की अंतिम तिथि के बाद अन्य राज्यों/बोर्डों से आए पूर्व मध्यमा भाग-1 (कक्षा नौवी) एवं उत्तर मध्यमा भाग-1 (कक्षा ग्यारहवीं) के विद्यार्थियों के एनरोलमेंट करने उपरान्त मूल दस्तावेजों की सत्यापित प्रति दस्ती/पंजीकृत एक सप्ताह के अन्दर-अन्दर बोर्ड कार्यालय में जमा करवानी होगी। अन्य राज्यों से आए विद्यार्थियों के एनरोलमेंट प्रोविजनल लगाए जाएंगे, जिन्हें S.L.C/T.C की जाँच करने उपरान्त ही स्थाई माना जाएगा। जाँच में Bogus/Fake पाए जाने पर एनरोलमेंट रद्द कर दिए जाएंगे एवं संस्था के विरुद्ध विनियम-21 (i)&(ii) के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

उपरोक्त वर्णित के सन्दर्भ में विस्तृत दिशा-निर्देश एवं एनरोलमेंट रिटर्न बारे लिंक <https://school.bseh.net/> बोर्ड की वेबसाईट www.bseh.org.in पर उपलब्ध हैं।

सहायक सचिव (एनरोलमेंट)
कृते : सचिव